मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ / 10-10/2015/17 मे-2 भोपाल,दिनांक 5 / 3 / 2015

आदेश

राज्य शासन तकनीकी समिति की अनुशंसा के आधार पर, एतद् द्वारा मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना अन्तर्गत कॉक्लियर इम्प्लान्ट हेतु पैकेज राशि रूपये 6.50 लाख (रूपये छः लाख पचास हजार मात्र) पुनरीक्षित करता है।

2. पुनरीक्षित पैकेज़ दिनांक 01.02.2015 अथवा उसके पश्चात् ऑपरेट किये गये/जा रहे सभी प्रकरणों पर लागू होगा।

3. मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना अन्तर्गत निम्न चिकित्सालयों को शासन द्वारा मान्यता दी गई है:–

1. अरविंदो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इंदौर।
2. चिरायु मेडिकल कॉलेज, भोपाल।
3. एल.एन. मेडिकल कॉलेज एवं जे.के. हॉस्पिटल, भोपाल।
4. दिव्य एडवांस ई.एन.टी. क्लीनिक, भोपाल।
5. अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली।
6. पी.डी. हिन्दुजा नेशनल हॉस्पिटल, मुम्बई ।
7. लीलावती हॉस्पिटल, मुम्बई।
8. देश में स्थित अन्य प्रतिष्ठित चिकित्सालय जिन्हें केंन्द्र शासन द्वारा एडीप (ADIP) योजना के अन्तर्गत कॉक्लियर इम्प्लान्ट हेतु मान्यता दी गई है।

4. संभागीय समिति की स्वीकृति उपरांत जिला स्तर पर निर्धारित पैकेज हेतु रूपये 5.20 लाख (रूपये पांच लाख बीस हजार मात्र) की राशि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) के अन्तर्गत आवंटित राशि से स्वीकृत की जाये एवं शेष राशि की व्यवस्था राज्य मद से की जाये। योजना हेतु राज्यांश के लिए राज्य बजट में आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है ।

5. प्रकरण विशेष में पैकेज सीमा से अधिक राशि की आवश्यकता होने पर संबंधित हितग्राही को स्वयं ऐसे अतिरिक्त व्यय का वहन करना होगा ।

योजना क्रियान्वयन की शेष व्यवस्था यथावत् रहेगी ।

म.प्र. राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

5/3/15
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क. एफ 10-10/2015/17मे 2 भोपाल,दिनांक 5 / 3 / 2015

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय ।
4. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय।
5. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
6. समस्त, आयुक्त, (राजस्व) मध्यप्रदेश।
7. मिशन संचालक, एन.एच.एम. बैंक ऑफ इंडिया जेल रोड अरेरा हिल्स भोपाल।
8. समस्त, संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
9. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
10. संचालक, (वित्त) राज्य स्वास्थ्य, बैंक ऑफ इंडिया जेल रोड अरेरा हिल्स भोपाल।
11. समस्त, अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
12. समस्त, कलेक्टर मध्यप्रदेश।
13. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
14. समस्त, संभागीय सयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय मध्यप्रदेश।
15. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
16. समस्त, सिविल सर्जन सह अधिक्षक मध्यप्रदेश।
17. शाखा प्रभारी एम.आई.एस. स्थानिय कार्यालय । वेबसाईट पर अपलोड करें।

5/3/15
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग